संख्या-1/26/60-3-14-3(42)/97

प्रेषक,

कामिनी चौहान रतन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ:: दिनांक:: जनवरी, 2014

विषय- कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध आदि के संबंध में।

महोदय,

रिट पिटीशन संख्या-(क्रि0मि0) 665-70/92 विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13-8-1997 के अनुपालन में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीडन को प्रतिषेध करने हेतु संविधान की धारा-32 एवं 141 के अन्तर्गत उपरोक्त विषय पर कतिपय मार्गदर्शक सिद्वान्त एवं मापदण्ड प्रतिपादित किये हैं और उसी क्रम में संविधान की धारा-141 के अधीन कानून घोषित किया गया। उपर्युक्त विषयक शासनादेश द्वारा प्रत्येक कार्यालय/संस्थान (निजी/सरकारी/अर्धसरकारी) में निम्नवत शिकायत समिति का गठन कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये है:-

1- महिला सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के आधी से कम नहीं होगी।
2- इस समिति का अध्यक्ष एक महिला सदस्य को बनाया जायेगा।
3- एक गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ) जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रतिषेध के क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रतिष्ठित हो, को भी इस समिति का सदस्य बनाया जायेगा।

उक्त के क्रम में समिति को अपने कार्य को सुचार रूप से करने हेतु एक आवश्यक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट संबंधित संस्थान द्वारा प्रदान की जायेगा।

2- यह समिति अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट बनायेगी और उस संस्थान के यौन उत्पीड़न के मामलों और उनके प्रकाश में आने पर कृत कार्यवाही का विवरण तथा अपने सुझाव संस्था के मुख्य कार्यकारी को प्रस्तुत करेगी।

3- महिला एवं बाल विकास विभाग के परिपत्र संख्या- 679/60-3-97-3(42)/97, दिनांक 28-11-1997, परिपत्र संख्या-241भा0स0/60-3-03-3(42)/97, दिनांक 28-11-1997 तथा पत्र

http://shasanadesh.upnic.in

संख्या-701/60-3-01-3(42)/97, दिनांक 16-4-2001, संख्या-169/60-3-01-3(42)/97,दिनांक 30 जुलाई, 2001 तथा संख्या-2762/60-3-05-3(42)/97, दिनांक 29-12-2005 के द्वारा शिकायत समिति की वार्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

4- रिट पिटीशन -(क्रिमिनल) संख्या-665-70/92, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 13-08-1997 के पूर्ण अनुपालन कराये जाने हेतु मा0 उच्च्तम न्यायालय में एक रिट पिटीशन- (क्रिमिनल) संख्या-173-177/1999 मेधा कोटवाल लेले व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 को निर्णय पारित किया गया, जिसके कार्यकारी आदेश निम्नवत है:-

In what we have discussed above, we are of the considered view that guidelines in Vishaka should not remain symbolic and the following further directions are necessary until legislative enactment on the subject is in place.

(i) The State and Union Territories which have not yet carried out adequate and appropriate amendments in their respective Civil Services Conduct Rules (By whatever name these Rules are called) shall do so within two months from today by providing that the report of the Complaints Committee shall be deemed to be an inquiry report in a disciplinary action under such Civil Services Conduct Rules. In other words, the disciplinary authority shall treat the report/findings etc. of the Complaint employee and shall act on such report accordingly. The findings and the report of the Complaints Committee Shall not be treated as a mere preliminary investigation or inquiry leading to a disciplinary action but shall be treated as a finding/report in an in quirky in to the misconduct of the delinquent.

(ii) The State and Union Territories which have not carried out amendments in the Industrial Employment (Standing Orders) Rules shall now carry out amendments on the same lines, as noted above in clause (i) within two months.

(iii) The State and Union Territories shall form adequate number of Complaints Committees so as to ensure that they

http://shasanadesh.up.nic.in

function at taluka level, district level and state level. Those States and/or Union Territories which have formed only one Committee for the entire State shall now form adequate number of Complaints Committees within two months from today. Each of such Complaints Committees shall be headed by a woman and as far as possible in such Complaints Committees an independent member shall be associated.

(iv) The State functionaries and private and public sector undertakings/organizations/bodies/institutions etc. shall put in place sufficient mechanism to ensure full implementation of the Vishaka guidelines and further provide that if the alleged harasser is found quality, the complainant-victim is not forced to work with/under such harasser and where appropriate and possible the alleged harasser should be transferred. Further provision should be made that harassment and intimidation of witnesses and the Complainants shall be met with severe disciplinary action.

(v) The Bar Council of India shall ensure that all bar associations in the country and persons registered with the State Bar Councils follow the Vishaka guidelines. Similarly, Medical Council of India. Council of Architecture, Institute of Chartered Accountants, Institute of Company Secretaries and other Statutory Institutes shall ensure that the organizations, bodies, associations, institutions and persons registered/ affiliate with them follow the guidelines laid down by Vishaka. To achieve this, necessary instructions/ circulars shall be issued by all the statutory bodies such as Bar Council of India, Medical Council of India, Council of Architecture, Institute of Company Secretaries within two months from today. On receipt of any complaints of sexual harassment at any of the places referred to above the same shall be dealt with by the statutory bodies in accordance

http://shasanadesh.up.nic.in

with the Vishaka guidelines and the guidelines in the present order.

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सरकार, महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन-(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) हेतु अधिनियम दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 प्रख्यापित किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वेबसाइट-**www.wcd.nic.in** पर उपलब्ध है।

6- अत: अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों में रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या-665-70/92, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य तथा रिट पिटीशन- (क्रिमिनल) संख्या-173-177/1999 मेधा कोटवाल लेले व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश कृमश: दिनांक 13-08-1997 तथा 19-10-2012 एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 09-12-2013 के दिशा-निर्देशों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना नियमित रूप से निदेशक, महिला कल्याण (नोडल अधिकारी) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कामिनी चौहान रतन
सचिव।

संख्या-26(1)/60-3-14-तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 को सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को श्रमिकों, औद्योगिक कर्मचारियों एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के संदर्भ में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।

3- प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को विश्व विद्यालय, महा विद्यालयों प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक/बेसिक शिक्षण संस्थाओं के संबंध में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु।

4- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 को समस्त नगर निकायों में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु।

5- निदेशक, महिला कल्याण को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस संबंध में समस्त विभागों से समय-समय पर सूचना संकलित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(अमरेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in